न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 07 / 2019 दायर दिनांक 14.11.2019

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. जरीना पत्नि जमील खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
2. जावेद पुत्र जमील खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. हमीद पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
2. वहीद पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
3. युसूफ पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
4. हसन पुत्र मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
5. खातून बेवा मजीज खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
6. अजीज खां पुत्र मुनीर खा जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
7. सलीम खां पुत्र मुनीर खां जाति मुसलमान निवासी करवरीकलां तहसील किशनगंज, जिला–बारां।
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां – राजस्थान

– रेस्पोडेण्टगण

उपस्थित :–

श्री एम.आई. खान, अभिभाषक अपीलान्ट।

निर्णय दिनांक 05.04.2022

अपील नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 02.11.1977 ग्राम करवरी कलां

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध दिनांक 02.11.1977 ग्राम करवरीकलां को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट के पिता एवं दादा के खाते की भूमि ग्राम करवरीकलां तहसील किशनगंज में खाता खतोनी नई 179, पुरानी 17[illegible] 0.05 बीघा, ख.नं. 108 रकबा 0.06 बीघा, ख.नं. 282 रकबा 02.06 बीघा, ख.नं. 294 रकबा 0.[illegible] बीघा, ख.नं. 316 रकबा 0.12 बीघा, ख.नं. 317 रकबा 0.06 बीघा, ख.नं. 318 रकबा 0.17 बीघा, ख.नं. 321 रकबा 0.10 बीघा, ख.नं. 322 रकबा 0.09 बीघा, ख.नं. 324 रकबा 0.17 बीघा, ख.नं. 325 [illegible] किता 11 कुल रकबा [illegible] बीघा वाके माल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

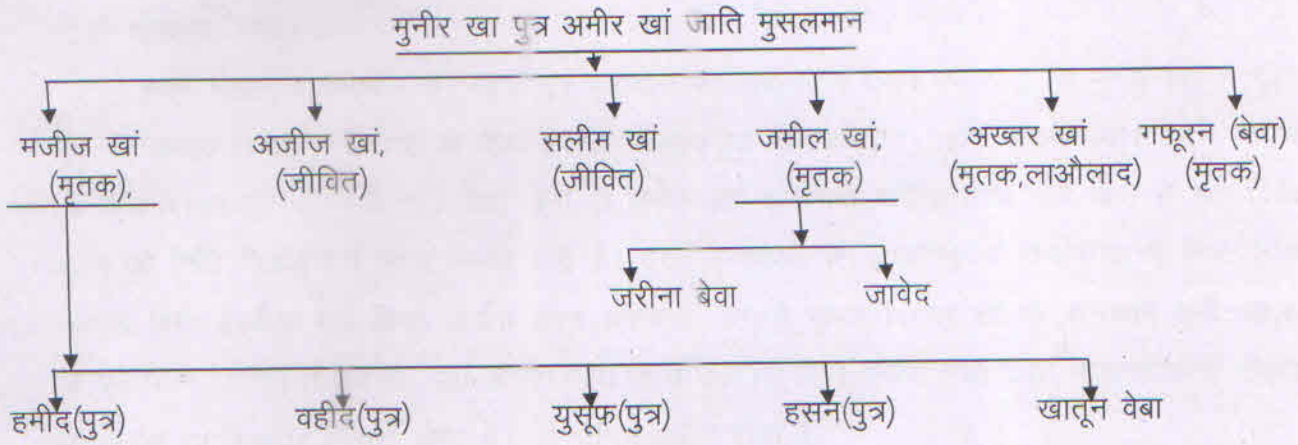

करवरीकलां में पटवार हल्का करवरीकलां तहसील किशनगंज जिला बारां में स्थित है। जिसको अपील में विवादित आराजी के नाम सम्बोधित किया गया है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्ट के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न है :–

विवादित आराजी मूल खातेदार मुनीर खां पुत्र अमीर खां जाति मुसलमान निवासी करवारीकलां के खाते की है। जिसमें मुनीर खां की मृत्यु के पश्चात् इन्तकाल संख्या 82 दिनांक 02.11.1977 को खोला गया उसके पूर्व ही जमील खां फोत हो गया था। पटवारी हल्का करवरीकलां ने इन्तकाल में वारिसान के नाम की जगह जमील खां का नाम तो दिया लेकिन अमल दरामद करते वक्त जमील खां एवं उसके वारिसान का नाम रह गया इस कारण जमील खां के वारिसान का नाम खाते में नहीं आ सका। मुनीर खां के फोत होने के पश्चात् विवादित आराजी के नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 02.11.1977 खोला गया। उसमें जमील खां के वारिसान की जांच पडताल किये बिना ही जमील खां व उसके वारिसान का नाम खाते से हटा दिया गया। जो विधि विरूद्ध एवं न्याय सम्पत नहीं होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त इन्तकाल को तहसीलदार किशनगंज ने बिना जांच पडताल किये तस्दीक कर दिया जबकि उक्त इन्तकाल खोलते समय जमील खां के वारिसान अपीलान्ट्स जीवित है। इस कारण बिना जांच पडताल किये खोला गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 02.11.1977 निरस्त योग्य है। उक्त इन्तकाल बाबत् हल्का पटवारी करवरीकलां ने जमील खां के वारिसान के बारे में कोई जांच पडताल नहीं की और झूठी रिपोर्ट पेश की कि जमील खां के कोई वारिसान नहीं है। जबकि जमील खां के वारिसान पुत्र एवं पत्नि जीवित मौजूद है तथा इन्तकाल का अमल दरामद करते समय हल्का पटवारी द्वारा जानबूझकर खाते से हटा दिया गया है। इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विवादित आराजी में अपीलान्ट का नाम नहीं होने की जानकारी अपीलान्ट्स को जब उनकी भूमि हथियादह बांध में आवाप्त की गई उसके नोटिस रेस्पोडेण्ट के तो आ गये लेकिन इनके नहीं आने पर हल्का पटवारी से दिनांक 08.10.2019 को हुई [illegible] 09.10.2019 को तहसील किशनगंज में नकलें निकवाकर जब सारी जानकारी एवं नकलें प्राप्त की गई तो अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान की सेवा में अविलम्ब अपील पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्टगण को सम्मन जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त हुये। बाबजूद सूचना रेस्पोडेण्ट अनुपस्थित रहे हैं, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि मुनीर खां के फोत होने के पश्चात् विवादित आराजी के नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 02.11.1977 खोला गया। उसमें जमील खां के वारिसान की जांच पडताल किये बिना ही जमील खां व उसके वारिसान का नाम खाते से हटा दिया गया। जो विधि विरूद्ध एवं न्याय सम्वत नहीं है। उक्त इन्तकाल को तहसीलदार किशनगंज ने बिना जांच पडताल किये तस्दीक कर दिया जबकि उक्त इन्तकाल खोलते समय जमील खां के वारिसान अपीलान्ट्स पुत्र एवं पत्नि जीवित मौजूद है। इस कारण बिना जांच पडताल किये खोला गया उक्त नामान्तरकरण संख्या 82 दिनांक 02.11.1977 निरस्त योग्य है। जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 82 ग्राम करवरीकलां निर्णय दिनांक 02.11.1977 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस के विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज कराकर निर्णित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2022.05.09 16:32:02 IST
Reason: SelfAttested